भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1414

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026
20 माघ, 1947 (शक)

राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम, 2026

1414. कैप्टन बृजेश चौटा:
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री नीरज मौर्य:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री आलोक शर्मा:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत अधिसूचित राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 के मुख्य उद्देश्य, मुख्य विशेषताएं और प्रमुख उपबंध क्या हैं;

(ख) उक्त नियमों से खेल संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित करने का लक्ष्य है;

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघ निकायों के प्रशासनिक ढांचे में उत्कृष्ट खिलाड़ियों और महिला/महिला एथलीटों की भागीदारी, प्रतिनिधित्व और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों के अंतर्गत क्या प्रावधान और विशेष व्यवस्था की गई है;

(घ) राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनाव कराने, संबद्ध इकाइयों को अद्यतन करने और अनुपालनार्थ इन नियमों के अंतर्गत क्या समय-सीमा और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं;

(ङ) क्या खेल निकायों द्वारा नियमों को सुचारू रूप से अपनाने के लिए कोई क्षमता निर्माण या जागरूकता उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) महाराष्ट्र में खेल संस्थाओं के विशेष संदर्भ में सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों में इन प्रशासनिक सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन प्रशासनिक सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और आंवला (बरेली) जैसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं का विकास संस्थागत सशक्तिकरण तथा उचित तरीके से चयन किस प्रकार होने की संभावना है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (छ) राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत बनाए गए राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 को दिनांक 12.01.2026 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नियम खेल इकोसिस्टम में प्रशासनिक मानक, मान्यता, अनुपालन आवश्यकताएं, नैतिक आचरण तथा संस्थागत जवाबदेही से संबंधित एक वैधानिक रूपरेखा निर्धारित करते हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपनी उपनियमावली को छह माह की अवधि के भीतर संशोधित करना अनिवार्य होता है।

राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को सम्मिलित करने के लिए रूपरेखा, आमसभा एवं कार्यकारी समिति की संरचना, निर्वाचन की प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय खेल निकायों एवं क्षेत्रीय खेल परिसंघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता के मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- प्रत्येक आमसभा में कम से कम चार उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (एसओएम) को सम्मिलित किया जाए, जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं हों। कार्यकारी समितियों में कम से कम चार महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल निकाय अपनी उपनियमावली के माध्यम से कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए विशिष्ट पद आरक्षित

कर सकते हैं।

- राष्ट्रीय खेल निकायों की आमसभा और कार्यकारी समिति में एसओएम के प्रतिनिधित्व हेतु सामान्य पात्रता मानदंड और बहु-स्तरीय मानदंड।
- कार्यकारी समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया में निर्वाचन के प्रत्येक चरण की समय-सीमा शामिल है, जिसकी शुरुआत एसओएम बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर निर्वाचन की घोषणा तक, अंतिम निर्वाचक सूची जारी करने और नामांकन आमंत्रित करने तक होगी।
- आमसभा के सदस्य या किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की किसी समिति के सदस्य होने के लिए अयोग्यता तथा उन्हें कार्यकारी समिति या एथलीट समिति के निर्वाचन में उम्मीदवार बनने के लिए अयोग्य घोषित करना। अयोग्यताओं में, जिन व्यक्तियों को किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और उसके बाद कारावास की सजा दी गई है, उन्हें कार्यकारी समिति या एथलीट समिति के निर्वाचन में उम्मीदवार बनने या आमसभा अथवा किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की किसी समिति के सदस्य होने से वंचित किया गया है।
- राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल की सूची के लिए प्रावधान।
- राष्ट्रीय खेल निकायों को यह सुनिश्चित करना और सुविधा प्रदान करना कि उनकी सभी संबद्ध इकाइयाँ राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट प्रारूप और विधि से राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ पंजीकृत हों।

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 तथा उससे संबंधित नियमों के अधिसूचित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अपने संविधान या उपनियमावली, संस्थागत प्रक्रियाओं और संचालन को इस वैधानिक रूपरेखा के अनुरूप निर्धारित समयसीमा के भीतर संरेखित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।

अधिनियम, अधिसूचना और नियमों की प्रतियां मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://yas.gov.in/en/sports/nsga-2025

राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) उस खेल विधा के समग्र प्रबंधन, दिशा, नियंत्रण, विनियमन, संवर्द्धन, विकास और प्रायोजन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी और जवाबदेह हैं जिसके लिए उसे संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इन दायित्वों का निर्वहन ओलंपिक चार्टर या भारतीय ओलंपिक संघ के चार्टर अथवा संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ के चार्टर में निहित सिद्धांतों के अनुरूप करें। राष्ट्रीय खेल शासन

अधिनियम, 2025 में प्रावधान है कि मान्यता प्राप्त खेल संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी मतदाता सदस्य और संबद्ध इकाइयाँ, जहाँ लागू हों, निम्नलिखित का अनुपालन करेंगो—

(क) अंतरराष्ट्रीय चार्टर और विधान, जैसा लागू हों, तथा उनमें निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे और कार्यों का निर्वहन करेंगे; और

(ख) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे।

मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत अनुदेश पहले से ही एनएसएफ को जारी किए जा चुके हैं। ये अनुदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका लिंक निम्नलिखित है:

https://yas.nic.in/sites/default/files/Instructions%20relating%20to%20selection%20of%20sportspersons%20%2805.03.2025%29%20%281%29.pdf

****